

सरकार बनाम छुट्टन

18.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवंटी देवचन्द्र पुत्र श्योनारायण जाति गीना निवासी गोरडा को ग्राम गोरडा में स्थित खसरा नम्बर 215/2 रकबा 5 बिस्वा दिनांक 19.12.1973 को आवंटन की गई थी। जिसका हाल खसरा नम्बर 77 रकबा 0.06 है0 है। जिस पर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

परोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस आवंटन के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह कही भी अंकित नहीं किया है कि आवंटी द्वारा किस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को एक माह के भीतर-भीतर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी